COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

194

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(30)

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनराविलोकन (रिव्यू) R3 68-I-17

१- ज्योति प्रकाश पुत्र प्रहलाद मृत वारिसान-
  १- मधु मित्तल बेवा ज्योति प्रकाश
  २- अंशुल मित्तल पुत्र ज्योती प्रकाश,
  ३- अदात मित्तल नाबालिग पुत्रज्योती प्रसाद वसरपरस्त माता स्वयं मधु मित्तल ।
२- प्रहलाद पुत्र पान्दी,
निवासीगण ग्राम बगवाज तेहसील व जिला श्योपुर-मध्यप्रदेश ।

दिनांक 4-1-17 को श्री [illegible] अभि० द्वारा प्रस्तुत/
नक़ल 4-1-17 50 [illegible] 69196

------- प्रार्थीगण

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन ------ प्रतिप्रार्थी

पुनराविलोकन आवेदन पत्र विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (पीठासीन माननीय श्री एम०के० सिंह सदस्य), दिनांक २१-१२-१६, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ७२६-दो/१७ निगरानी ।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन आवेदन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, निगरानी प्रकरण में प्रार्थी क्रमांक-१ ज्योती प्रकाश की मृत्यु दिनांक ०१-०१-२०१६ को हो चुकी है । निगरानी प्रकरण में दिनांक १-९-१६ को मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये जाने के संबंध में कोई विचार न करते हुये मृतक के विरुध्द विवादित आदेश

क्रमश:----२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नाविलोकन 68/एक/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-1-17	यह पुर्नाविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 726/दो/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ज्योति प्रसाद को ग्राम बागवाज की भूमि सर्वे क्रमांक 562/2 मिन रकवा 4 बीघा का न्यायालय नायब तहसीलदार, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 द्वारा बंटन कर भूमि स्वामी स्वत्व के पट्टे जारी किये जाकर मौके पर कब्जा दिया गया। तब से आवेदकगण द्वारा निरन्तर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है, तथा भूमि को उनके द्वारा श्रम एवं पूँजी लगाकर कृषि योग्य बनाया है। शिकायतकर्त्ता हसन अली ने विवादित भूमि के संबंध में कलेक्टर, श्योपुर को इस आशय की शिकायत की थी कि ग्राम बगवाज की बेहड़ भूमि सर्वे क्रमांक 175 एवं 181 को कृषि योग्य बनाया गया जिस पर कई वर्षो से खेती करते आ रहे है जिसे नूर मोहम्मद पुत्र सुभान ने अपनी दोनों पत्नियॉ हलीमा एवं फरीदा के नाम पटवारी से मिलकर तहसील से पट्टा करा लिया, जबकि उक्त पट्टा आवेदकगण को नहीं किया गया। उक्त शिकायत की जॉच कलेक्टर, श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर से	

करायी गयी। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 को तलब कर वास्तविक स्थिति के संबंध में तहसीलदार श्योपुर से जानकारी चाही। तहसीलदार ने गॉव के पंचान एवं सरपंच से जानकारी ली, जिसमें आवेदकगण को ग्राम बगवाज का निवासी होना प्रमाणित किया, जिसका पंचनामा तैयार किया। पटवारी द्वारा आवेदकगण की आर्थिक स्थिति अच्छी होने संबंधी गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर श्योपुर को इस आशय से प्रस्तुत किया कि तहसील ने प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 दिनांक 02.07.96 से की गयी, भूमि बंटन की कार्यवाही में अनियमितता की गयी, जिससे भूमि बंटन के उक्त आदेश से स्वमेव निगरानी में लेकर अवैध पट्टों का निरस्त किया जाये। कलेक्टर, श्योपुर ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर क्रमांक 01/2000–01/स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया और आदेश दिनांक 06.02.2003 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार, श्योपुर के बंटन आदेश दिनांक 02.07.1996 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 28 /02–03 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 पारित कर निगरानी निरस्त की गयी, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 726/2007 प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 21.12.2016 से निरस्त की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3– पुनार्विलोकन मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि माननीय

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 में आवेदकगण द्वारा की गयी आपत्तियों का उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त आपत्तियों पर समुचित विचार किये बिना आदेश पारित किया है, जो अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि की है। उक्त निगरानी में आवेदकगण की ओर से निवेदन किया था कि आवेदक क्रमांक 1 ज्योतिप्रकाश की मृत्यु दिनांक 01.01.2016 को हुयी है, जिसमें विधिक वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2016 को मय शपथपत्र तथा मृत्यु प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किया था। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर विचार होने से रह गया है और ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध अथवा पक्ष में पारित आदेश शून्य होता है। इस संबंध में 2002 आर.एन 359 सीताराम विरूद्व गुलाब सिंह का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया है, कि वर्तमान प्रकरण में भूमि बंटन ग्रामो की दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अधीन किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते। यह स्पष्ट आपत्ति इस न्यायालय के समक्ष निगरानी मैमो में की गयी है। तथा इस न्यायालय के निगरानी प्ररकण में पारित आदेश के पद क्रमांक 3 में भी इस आपत्ति का उल्लेख किया गया है। किन्तु इस आपत्ति पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। यह मूल अभिलेख देखने से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में उपरोक्त वैधानिक तथ्य पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 21.12.2016 अपास्त किया जाकर, निगरानी प्रकरण में मृतक

ज्योति प्रकाश के विधिक उत्तराधिकारियो के नाम अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार निगरानी मैमो में लाल स्याही से संशोधन किया जावे। इसके पश्चात् आवेदकगण एवं अनावेदक के अभिभाषकों को निगरानी प्रकरण क्रमांक 726/दो/2007 में गुण दोषो पर सुना गया।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिवत विज्ञप्ति जारी कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के आधार पर प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 से आवेदकगण के हित में भूमि के पट्टे जारी किये गये थे। किन्तु कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा शिकायत के आधार पर प्रकरण को अधिक समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर, जिला श्योपुर, आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित किये गये है, विधिवत नहीं होने से निरस्त किये जाकर वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाये एवं तहसीलदार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के हित में पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया। यह भी तथ्य प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में भूमि का बंटन विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत् किया गया है। इस कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं है यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि निगरानी कर्तागण को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला साथ ही जो आधार कारण बताओ सूचना पत्र में अंकित ही नही है उनपर आदेश पारित किया गया है। जो किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता।

5— अनावेदक शासन की ओर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है। कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये है, वह अपने स्थान पर विधिवत एवं उचित होने से सही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार एवं पटवारी की असत्य व अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना बंटन आदेश दिया है। तहसीलदार ने जॉच में आवेदकगण को ग्राम का निवासी होना माना है। जॉच में पंचान एवं सरपंच ग्राम बगवाज द्वारा निवासी होना प्रमाणित किया है। भूमि बंटन के समय पदस्थ पटवारी की रिपोर्ट एवं जॉच के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा यह मानकर कि आवेदकगण ग्राम के भूमिहीन कृषि मजदूर है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर उन्हें विवादित भूमि के पट्टा विधिवत एवं नियमानुसार दिये गये हैं। जिसे लम्बी अवधि बाद सुने बिना निरस्त किया जाना अवैधानिक है। कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण को अधिक समय पश्चात् स्वप्रेरणा से लिया जाकर कार्यवाही की है। स्वमेव निगरानी के अधिकारों के संबंध में न्यायदृष्टात 2010(4) एम.पी.एल.जे.178 अवलोकनीय है। इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि — "भू—राजस्व संहिता म0प्र0 (1959 का 20) धारा 50 पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वंप्रेरणा शंक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की

गयी कार्यवाही की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है, भले ही अचल सम्पत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।" उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर, जिला श्योपुर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

आवेदक के अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल है कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा आवेदकगण को ग्राम का निवासी होने तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने से भूमि का आबंटन किया गया था, किन्तु बाद में तत्कालीन पटवारी द्वारा भूमि बंटन हेतु अपने प्रतिवेदन में गलत रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, जिस पर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्ध किया हैं। ऐसी स्थिति में गलत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक, अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि उन्होंने भूमि का व्यवस्थापन होने के उपरांत कब्जा लेने के बाद अकृषि योग्य भूमि को श्रम एवं धर्म व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा 9 वर्षो से अधिक समय उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 391 (इंदरसिंह तथा एवं अन्य बनाम म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि– "भू–राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 की धारा 50 भूमि आवेदकगण को आबंटित की गई–सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती" अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों जो आदेश पारित

किये गये वह विधि–सम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भूमि बंटन विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानो क अधीन किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में आर्कषित नहीं होते।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नाविलोकन स्वीकार की जाती है आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना कलेक्टर, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 एवं कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2000–01/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.02.2003 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं नायब तहसीलदार, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 स्थिर रखे जाने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक प्रति निगरानी प्रकरण में भी संलग्न की जावे।

सदस्य